| आदेश की क्रम सं० एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|

10/12/24

**न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की, विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।**

**एस०ए०आर०वाद सं०-39/2023-2024**

**मनोज कुमार मुण्डा,..... आवेदक।**

**बनाम्**

**(1) सोनू साहू,**
**(2) कोशिल्या देवी,..... विपक्षीगण।**

***आदेश***

आवेदक मनोज कुमार मुण्डा पिता–स्व० चन्द्र नाथ मुण्डा, जाति–मुण्डा निवास ग्राम–काटमकुली, थाना–पिठोरिया, जिला–राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। आवेदक ने आरोप लगाया है कि उनकी खतियानी भूमि पर विपक्षीगण (1) सोनू साहू, पिता–प्रदीप साहू उर्फ बुढ़ा, (2) कोशिल्या देवी, पति–स्व० सुख सागर साहु, सभी निवासी ग्राम–काटमकुली, थाना–पिठोरिया, जिला–राँची द्वारा छल प्रपंच से हड़पकर दखल कर लिया है।

**जमीन का विवरण**

| मौजा | थाना नं0 | खाता नं0 | प्लॉट नं0 | रकबा |
|---|---|---|---|---|
| काटमकुली | 15 | 264 | 1210 | 51 डी० |

आवेदक द्वारा अपने आवेदन के साथ शपथ–पत्र वंशावली दाखिल नहीं किया गया है। अपने आवेदन में कहते हैं कि आवेदक खतियानी रैयत के वंशज हैं, तथा खतियान में हरीनाथ मुण्डा वगैरह नाम दर्ज है।

आवेदक अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। विपक्षीगण ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल–प्रपंच से जबरन जमीन पर कब्जा कर आवेदक को बेदखल कर दिया है। इसी को आधार मानते हुए कारण पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु विपक्षीगण को नोटिस निर्गत किया गया।

10/12/24

कृ०पृ०उल्टे

विपक्षीगण को डाक के माध्यम से नोटिस निर्गत किया गया। परंतु नोटिस बिना तामिला डाक द्वारा वापस आ गया। पुनः सही पते पर डाक द्वारा नोटिस निर्गत किया गया। परंतु विपक्षीगण उपस्थित नहीं हुए। आवेदक के द्वारा डाक विभाग का Track Consignment भी दाखिल किया गया है। तत्पश्चात आवेदक के द्वारा समाचार पत्र के माध्यम से विपक्षीगण को नोटिस प्रकाशित करने का आग्रह किया, समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित किया गया। इसके बावजूद भी लगातार विपक्षीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात आवेदक के द्वारा वाद को एकपक्षीय सुनवाई हेतु आवेदन दिया गया तथा आवेदन को स्वीकृत करते हुए वाद की सुनवाई एकपक्षीय कर दिया गया। तत्पश्चात आवेदक की ओर से दो गवाह प्रस्तुत किया गया। स्वतंत्र गवाह अमृत महतो, पिता–झलू महतो, की ओर से शपथ पत्र पर गवाह दिया, जिसमें कहते हैं कि आवेदक खतियानी रैयत के वंशज हैं। विपक्षीगण सोनू साहु और कोशिल्या देवी ने एक वर्ष पूर्व विवादित भूमि पर दखल कब्जा कर लिए हैं जो आदिवासी खाते की है। अपने प्रतिपरीक्षण में पुनः कहते हैं कि विपक्षीगण एक वर्ष पूर्व से वर्णित भूमि को दखल कब्जा कर लिए हैं। गवाह स्वंय मनोज कुमार मुण्डा, पिता–स्व० चन्द्र नाथ मुण्डा अपने शपथ पत्र में कहते हैं कि मैं खतियानी रैयत का वैध वंशज हूँ। अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि वर्णित भूमि मेरे हिस्से की है। जिससे विपक्षीगण सोनू साहू ने 10 डिसमिल एवं कोशिल्या देवी ने 07 डिसमिल जमीन को अवैध तरीके से कब्जा कर लिऐ हैं। आवेदक की ओर से खतियान की छाया प्रति और अंचल रसीद की छाया प्रति दाखिल किये हैं।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने बहस के साथ लिखित बहस भी दाखिल किये हैं। इसमें कहते हैं कि आवेदक खतियानी रैयत के वंशज हैं। जिससे विपक्षीगण क्रमाकः–01 सोनू साहू, पिता–प्रदीप साहू, ने 10 डिसमिल और विपक्षीगण क्रमाकः–02 कोशिल्या देवी, पति–स्व० सुख सागर साहू, ने 07 डिसमिल जमीन को अवैध कब्जा कर लिऐ हैं। आवेदक के खतियानी जमीन को गैर आदिवासी खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। आवेदक के दादा के नाम पर खतियान है।

अतः वर्णित भूमि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" के अंतर्गत आवेदक को वापस होना चाहिए।

कृ०पृ०उल्ट

10/12/24

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने एवं लिखित बहस तथा सभी कागजातों के अवलोकन से निष्कर्ष निकलता है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–71"A" के अंतर्गत प्रश्नगत जमीन पर विपक्षीगण (1) सोनू साहु, पिता–प्रदीप साहू उर्फ बुढ़ा, मौजा–काटमकुली, थाना नं०–15, खाता संख्या–264, प्लॉट संख्या–1210, कुल रकवा–51 डिसमिल, मध्ये रकवा–10 डिसमिल, (2) कोशिल्या देवी, पति–स्व० सुख सागर साहु, मौजा–काटमकुली, थाना नं०–15, खाता संख्या–264, प्लॉट संख्या–1210, कुल रकवा–51 डिसमिल, मध्ये रकवा–07 डिसमिल, पर अवैध रूप से दखलकार हैं। अतः विपक्षीगण को वर्णित भूमि से बेदखल करते हुए आवेदक को जमीन वापस किया जाता है, तथा विपक्षीगण को आदेश दिया जाता है कि यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना है तो 03 माह के अंदर हटा लें।

तदनुसार अंचल अधिकारी, काँके को दखल–देहानी हेतु आदेश निर्गत करें कि यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना निर्मित हो तो उसे हटाने हेतु प्रावधानुसार विपक्षीणग को पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए आवेदक सहित उनके वैध वंशजों को दखल–देहानी सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

10/12/24

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

10/12/24

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

ज्ञापांकः– 322 (ii) दिनांकः– 10/12/24

प्रतिलिपिः– अंचल अधिकारी, काँके राँची को प्रश्नगत भूमि पर वैध वंशजों को दखल–देहानी हेतु प्रेषित।

10/12/24

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2025.01.04 16:07:28 +05:30
Location: 192.168.109.39